निर्वाचन तत्काल

कैम्प बैग

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली–110001

मि.स. 576 / एक्जिट / 2015 / एसडीआर–खण्ड–। दिनांक 30 जनवरी, 2015

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

विषयः– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2015–एक्जिट पोल – तत्संबंधी ।

महोदय,

मुझे आयोग के दिनांक 30 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या 576 / एक्जिट / 2015 / एसडीआर–खंड–। को एतद्द्वारा इस अनुरोध के साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और उसकी एक प्रति आयोग के रिकार्ड हेतु भेज दी जाए ।

इसे समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउसेस, रेडियो तथा टेलिविजन चैनल इत्यादि सहित सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए और प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाना चाहिए ।

भवदीय,

(एन.टी.भूटिया)
अवर सचिव

राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र दिल्ली के शासकीय
राजपत्र में तत्काल प्रकाशनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0 576/एग्जिट/2015/एस.डी.आर–खण्ड–I दिनांकः 30 जनवरी, 2015

अधिसूचना

यतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अन्तर्गत दिनांक 14.01.2015 को अधिसूचित किया गया हैं ;

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क के प्रावधानों के अनुसार इस सबंध मे निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा ।

3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप–धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धाराओं की उप–धारा (2) के उपबंधो के संबंध में एतत्द्वारा दिनांक 07.02.2015(शनिवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान 14.01.2015 को अधिसूचित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगाा ।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचन के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 धंटो की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलें का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा ।

आदेश से,

अनुज जयपुरिया।

(अनुज जयपुरियार)
सचिव

TO BE PUBLISHED IN THE
OFFICIAL GAZETTE OF
NCT OF DELHI IMMEDIATELY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 576/EXIT/2015/SDR-Vol.I Dated: 30th January, 2015

NOTIFICATION

Whereas, the schedule for the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi has been notified under Section 30 of Representation of the People Act, 1951 on 14-01-2015

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A .M. and 6.30 P.M.on 07-02-2015(Saturday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current **General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi notified on 14-01-2015**, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hour ending with the hours fixed for conclusion of poll in connection with aforesaid General election.

By order,

(ANUJ JAIPURIAR)
SECRETARY

ELECTION URGENT
CAMP BAG

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110 001

No. 576/Exit/2015/SDR-Vol.-I Dated: 30th January, 2015

To

The Chief Electoral Officer of
NCT of Delhi,

Subject:- General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2015 – Exit Poll-regarding.

Sir,

I am directed to forward herewith the Commission's Notification No.576/Exit/2015/SDR-Vol.I dated 30th January,2015 with the request that this may be published in an extraordinary issue of the gazette of the State and a copy thereof may be sent to the Commission for record.

This may be brought to the notice of all concerned including news bureaus, media houses, radio and television channels etc. and should also be published in prominent local newspapers.

Yours faithfully,

(N.T. Bhutia)
Under Secretary